भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक

महालेखा परीक्षक -

संसद द्वारा आबंटित धन के खर्चों पर नजर रखना जाँच करना सरकारी धन का उपयोग उचित प्रयोजन व् उचित रूप से किया जा रहा है या नहीं साथ सरकार को वित्तीय व्यय के सुरक्षित तरीके सुझाना महत्व पूर्ण कार्य है

जन वित्त का संरक्षक होने के साथ देश की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है

नियंत्रण का क्षेत्र -राज्य व् केंद्र दोनों

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था है

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संरचना

एकल सदस्यीय संस्था है यह भारत के महालेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IAAD) का नेतृत्व करते हैं। भारत के पांच उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनकी सहायता करते हैं। लेखा परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उप नियंत्रकों में से एक होता है। भारत के चार अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नीचे होते हैं।

इस कार्यालय का पदानुक्रम इस प्रकार है:

- सीएजी
- उप सीएजी
- अतिरिक्त उप सीएजी
- महानिदेशक
- प्रधान निदेशक
- निदेशक/उप निदेशक

नियुक्ति व् कार्यकाल -

नियंत्रक व् महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

कार्यकाल - 6 वर्ष या अधिकतम ६५ वर्ष की आयु तक

इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजकर पद छोड़ सकता है

पद से हटाने के लिए न्यायधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात संसद विशेष बहुमत के साथ कदाचार या योग्यता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है

नियंत्रक महालेखा परिक्षक [CAG] से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान -

1.अनु. 148 नियुक्ति ,शपथ ,व् सेवा शर्तों से संबंधित है .

2.अनु. 149 कभारत के नियंत्रक व् महालेखा परीक्षक की कर्तव्य व शक्तियां से संबंधित है

3. अनु. 150 का सम्बन्ध संघ व् राज्य के खातेन को उसी रूप में रखे जायेंगे जिस प्रकार राष्ट्रपति सी ए जी की सलाह पर निर्धारित करें

4. अनु. 151 संघ के खतों से संबंधित रिपोर्ट सी ए जी राष्ट्रपति को सौपीं जाएगी

5. अनु. 279 शुद्ध आय की गणना से संबंधित है जिसे सी ए जी द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित किया जाता है

भारत में की भूमिका

वित्तीय निगरानी और शासन के लिए CAG भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों में सरकारी खातों का ऑडिट करना, सार्वजनिक व्यय की जांच करना और वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट करना शामिल है। सरकारी वित्त का प्रबंधन प्रभावी और कानूनी रूप से किया जाए।

- इस कार्यालय का मिशन भारतीय संविधान के वित्तीय प्रशासन प्रावधानों के साथ-साथ संसद द्वारा अनुमोदित कानूनों का सम्मान करना है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका (अर्थात मंत्रिपरिषद) वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति जवाबदेह है।

- यह कार्यालय संसद के प्रति जवाबदेह है तथा संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तथा उसकी ओर से व्यय लेखा-परीक्षा करता है।
- सीएजी का काम यह "निर्धारित करना है कि खातों में वितरित की गई रिपोर्ट की गई धनराशि कानूनी रूप से उस सेवा या उद्देश्य के लिए उपलब्ध थी या नहीं जिसके लिए उसे लगाया गया था या वसूला गया था, और क्या व्यय उस प्राधिकारी के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है।"
- कार्यालय एक स्वामित्व लेखा परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसमें सरकारी व्यय की 'बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता' पर गौर करना तथा अपव्यय पर टिप्पणी करना शामिल है।
- दूसरी ओर, औचित्य लेखा परीक्षा, कानूनी और नियामक लेखा परीक्षा के विपरीत, वैकल्पिक है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए आवश्यक है।
- गुप्त सेवा व्यय CAG की लेखापरीक्षा भूमिका में बाधा डालता है।
- इस मामले में, CAG कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं मांग सकता है, लेकिन उसे उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी से यह प्रमाणपत्र स्वीकार करना होगा कि व्यय उसकी देखरेख में किए गए थे।

सीएजी की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकरण है। CAG की शक्तियों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- CAG सरकार के खातों का ऑडिट कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ शामिल हैं। इससे सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- CAG के पास सरकार के वित्तीय पहलू को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह सरकारी विभागों के वित्तीय खातों, लेन-देन और रिपोर्टों की जांच करता है।
- सीएजी संसद को लेखापरीक्षा निष्कर्षों और टिप्पणियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट संसद के लिए सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की जांच करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।
- वित्तीय ऑडिट के अलावा, CAG प्रदर्शन ऑडिट भी करता है। इसमें सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं।
- CAG एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार की कार्यकारी शाखा के नियंत्रण के अधीन नहीं है। यह स्वतंत्रता CAG को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देती है।
- सीएजी अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सरकार को सिफारिशें कर सकता है।

- सीएजी अपनी लेखापरीक्षा टिप्पणियों और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनका अनुसरण करता है। यह निगरानी करता है कि सरकार ने पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की है या नहीं।
- **सीएजी रिपोर्ट का प्रभाव**
- भारत का वर्तमान CAG वित्तीय जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के महालेखा परीक्षक के ऑडिट निष्कर्ष वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हैं। भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शासन और नीति कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में मदद करती है। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए ऑडिट के माध्यम से कई वित्तीय घोटाले उजागर हुए हैं।
- **निष्कर्ष**

भारत में सर्वोच्च लोक सेवक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। वह सरकार के कामकाज का निरीक्षण और वर्णन करके जवाबदेही में सुधार करने का प्रभारी होता है, जैसा कि अनुच्छेद 148 से 151 में कहा गया है।भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का नेतृत्व करते हैं।